राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 एलएम/12/2014/एमएचआरडी1/एसईएचआरएमटी/आरयू–III

विषयः जातिगत आधार पर उत्पीड़न करने के संबंध में डा0 ललिता मीना, सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन, नई दिल्ली के मामले पर दिनांक 23.12.2014 को अपराह्न 04:00 बजे श्री रवि ठाकुर, माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष हुई बैठक/सुनवाई का कार्यवृत्त।

बैठक/सुनवाई की तिथि–23.12.2014

बैठक में उपस्थित **(परिशिष्ट–I)**

डा0 ललिता मीना, सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन, नई दिल्ली ने अभ्यावेदन दिनांक 01.09.2014 आयोग को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनके साथी डा0 ममता चावला, डा0 पूनम शर्मा, डा0 शशि शर्मा, डा0 लोकेश गुप्ता एवं चारू आर्य एवं अन्य लोग उनके ऊपर जातिगत व्यंग्य कसते हुए आरक्षण के ताने मारते हैं और परेशान करते हैं। उसने आयोग को अनुरोध किया है कि उक्त लोगों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस मामले में कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन को आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भेजने के लिए आयोग ने दिनांक 01.09.2014 को नोटिस भेजा।

इस संबंध में सहायक रजिस्ट्रार (कॉलेज–टी), दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्र दिनांक 04.09.2014 द्वारा अवगत कराया कि कॉलेज की गवर्निंग बोडी इस संबंध में कार्रवाई के लिए संक्षम है। दिल्ली विश्वविद्यालय का इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में एक पत्र संबंधित कॉलेज को भेज दिया गया है।

इस संबंध में आयोग ने एक और अनुस्मरण पत्र दिनांक 11.09.2014 प्रिसिंपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन को भेजा। प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन ने पत्र दिनांक 15.09.2014 द्वारा आयोग को सूचित किया कि शिकायतकर्ता की समस्या के समाधान हेतु इस मामले में कॉलेज गवर्निंग बॉडी ने एक उप समिति गठित की है जिसकी बैठक 12.09.2014 को हो चुकी है। यदि शिकायत सही पायी गई तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में डा0 ललिता मीना ने दिनांक 11.09.2014 का अभ्यावेदन आयोग को भेज कर अवगत कराया है कि जैसे ही उसने आयोग में शिकायत की है उसके साथी प्रोफेसर मौका मिलते ही और अधिक जाति आधार पर उत्पीड़न करने लगे हैं जिससे उनका मानसिक संतुलन खराब रहता है।

Ravi Thakur

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने कॉलेज के जवाब से अभ्यावेदिका को अवगत कराया गया जिस पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए उनके द्वारा रिजोएन्डर दिनांक 01.10.2014 आयोग को प्रस्तुत किया गया रिजोएन्डर की छायाप्रति आयोग के पत्र दिनांक 09.10.2014 द्वारा कामेंटस प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन को भेजी। प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन ने पत्र दिनांक 27.10.2014 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि गठित कमेटी की रिपोर्ट गवर्निंग बोडी को प्राप्त होते ही मामले उचित निर्णय लिया जाएगा।

इस मामले में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर ने दिनांक 23.12.2014 को अपराह्न 4:00 बजे चर्चा हेतु रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन के साथ आयोग में बैठक निश्चित की, तद्नुसार आयोग द्वारा उनको नोटिस जारी किए गए।

मामले में सुश्री मीनाक्षी सहाय, सहायक रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा डा0 कवंरजीत कौर, पदेन प्रिंसिपल व श्री एस.के.एस. मान, प्रशासनिक अधिकारी, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन दिनांक 23.12.2014 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। माननीय उपाध्यक्ष ने उनको मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जिस पर सहायक रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी, कॉलेज के टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नियुक्ति एवं अनुशासन के लिए ऑथोरिटी है। अतः इस मामले में प्रिंसिपल स्वयं आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष के पूछने पर प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन ने आयोग को बताया कि दिनांक 16.12.2014 को इस संबंध में कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई है जिसके कार्यवृत्त की प्रति आयोग को प्रस्तुत है। उन्होंने अवगत कराया कि डा0 ललिता मीना के मामले में फैक्टस फाइडिंग कमेटी की रिपोर्ट गवर्निंग बॉडी के समक्ष रखी गयी जिस पर चर्चा करते हुए प्रश्नगत मुद्दे को गंभीरता से लिया गया और गवर्निंग बॉडी ने पाया कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कॉलेज द्वारा सभी प्रयास किये जाने आवश्यक है। प्रिंसिपल ने कहा कि इस मामले में आयोग की दिशा–निर्देश रिपोर्ट पर गवर्निंग बॉडी द्वारा अग्रिम विचार–विमर्श कर मामले का समाधान किया जाएगा। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि इस प्रकार की घटनाओं पर निगरानी के लिए गवर्निंग बॉडी द्वारा कुछ उपाय/मैकेनिजम तय किया है।

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण आधार पर संबंधित वर्ग के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी पर संबंधित विभाग या कार्यालय द्वारा भेदभाव/उत्पीड़ना बरती जाती है तो यह एक गंभीर मुद्दा है। डा0 ललिता मीना के मामले में कॉलेज के साथी लोगों द्वारा उनके साथ किया गया जातिगत अपमान/भेदभाव एक संज्ञेय अपराध है। अतः आयोग की सिफारिश है कि दोषीगणों के खिलाफ निम्नलिखित बिन्दुओं अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए:–

1. डा0 ललिता मीना, सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) की कथित शिकायत/समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2. डा0 ललिता मीना, सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) के साथ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी तथा स्वयं प्रिंसिपल द्वारा कॉलेज से संबंधित एवं उनसे संबंधित (डा0 ललिता मीना) प्रत्येक बिन्दु पर सदैव सलाह एवं पारदर्शिता अपनायी जाए।

3. मामले में दोषीगणों के खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्रवाई करते हुए उनको चेतावनी जारी कर दी जाए।

4. मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत संबंधित दोषिगणों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई निश्चित की जाए ताकि भविष्य में किसी आरक्षित वर्ग के स्टाफ के साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो।

5. कॉलेज में इस प्रकार की घटनाओं पर निगरानी रखने एवं रोकने के लिए एक सख्त मैकेनिजम तत्काल लागू किया जाए जो कि शिकायतकर्ता के हित को संरक्षित करे।

6. प्रिंसिपल कालेज का मुख्य प्राधिकारी होता है अतः उनकी जिम्मेवारी है कि कॉलेज की इस प्रकार की घटनाओं/गतिविधियों पर नजर रखी जाए। यदि जानकारी के बावजूद प्रिंसिपल अपनी जिम्मेवारी निभाने में अनभिज्ञ हैं तो उनके विरूद्ध भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित है। अतः प्रिंसिपल का इस प्रकार के मामलों में आश्वासन अपरिहार्य/अनिवार्य है।

7. कॉलेज में विशेषतः अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारियों/अधिकारियों के संरक्षण/सुरक्षण की पूरी व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि मामले में उपरोक्तानुसार कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों के अन्दर भिजवायी जाए।

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi